

A

(6)

भारतीय झंडा संहिता

2002



भारत सरकार
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली

भारतीय झंडा संहिता

भारत का राष्ट्रीय झंडा, भारत के लोगों की आशाओं और आकौशाओं का प्रतिरूप है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। पिछले पांच दशकों में अनेक लोगों और सशस्त्र सैनिकों ने इस तिरंगे को पूर्ण गौरव के साथ फहराते रहने के लिये सहजता पूर्वक अपने जीवन का बलिदान दिया है।

राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डा० राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। इस संविधान सभा ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार किया था। डा० एस० राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि “भगवा या केसरिया रंग त्याग या निःस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे लोगों को भौतिक सुखों से विरक्त तथा अपने कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। झंडे के मध्य में सफेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। इस झंडे तले शासन करने वाले लोगों को सत्य, धर्म या नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। पुनश्च, चक्र प्रगति का प्रतीक है, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चलना ही जिंदगी है। भारत को परिवर्तन की अनदेखी नहीं करनी है, अपितु आगे ही आगे बढ़ना है। चक्र शान्तिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है।”

सब के मन में राष्ट्रीय झंडे के लिए प्रेम, आदर और निष्ठा है। लेकिन प्रायः देखने में आया है कि राष्ट्रीय झंडे को फहराने के लिए जो नियम, रिवाज़ और औपचारिकताएं हैं उसकी जानकारी न तो आम जनता को है और न ही सरकारी संगठनों और एजेंसियों को। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी असांविधिक निर्देशों, संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का सं 12) तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (1971 का 69) के उपबंधों के तहत राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन नियंत्रित होता है। सभी के मार्गदर्शन और हित के

लिए भारतीय झंडा संहिता, 2002 में सभी नियमों, रिवाजों, औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ लेने का प्रयास किया गया है।

सुविधा के लिए भारतीय झंडा संहिता, 2002 को तीन भागों में बांटा गया है। संहिता के भाग I में राष्ट्रीय झंडे के बारे में सामान्य विवरण दिया गया है। आम जनता, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराए जाने के बारे में संहिता के भाग II में विवरण दिया गया है। केन्द्र और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों व एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराए जाने का विवरण संहिता के भाग III में दिया गया है।

“झंडा संहिता—भारत” के स्थान पर “भारतीय झंडा संहिता, 2002” को 26 जनवरी, 2002 से लागू किया गया है।

भाग-I

सामान्य

1.1 राष्ट्रीय झंडे पर तीन अलग-अलग रंगों की पट्टियां होंगी जो समान चौड़ाई वाली तीन आयताकार पट्टियां होंगी। सबसे ऊपर भारतीय केसरी रंग की पट्टी होगी और सबसे नीचे भारतीय हरे रंग की पट्टी होगी। बीच की पट्टी सफेद रंग की होगी जिसके बीचों बीच बराबर की दूरी पर नेवी ब्लू रंग में 24 धारियों वाला अशोक चक्र बना होगा। बेहतर होगा यदि अशोक चक्र स्क्रीन से प्रिंट किया हुआ या अन्यथा छपा हुआ या स्टैंसिल किया हुआ या उचित रूप से कढ़ाई किया हुआ हो जो सफेद पट्टी के बीच में झंडे के दोनों ओर से स्पष्ट दिखाई देता हो।

1.2 भारत का राष्ट्रीय झंडा हाथ से काते गए और हाथ से बुने गए ऊनी/सूती/सिल्क खादी के कपड़े से बनाया गया हो।

1.3 राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होगा। झंडे की लंबाई और ऊंचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3:2 होगा।

1.4 राष्ट्रीय झंडे के मानक आकार निम्नलिखित होंगे:-

<u>झंडे का आकार चारा</u>	<u>मिलीमीटरों में माप</u>		
1	6300	×	4200
2	3600	×	2400
3	2700	×	1800
4	1800	×	1200
5	1350	×	900
6	900	×	600
7	450	×	300
8	225	×	150
9	150	×	100

1.5 फहराने के लिए समुचित आकार के झंडे का चुनाव किया जाए। 450×300 मिलीमीटर आकार के झंडे अतिगणधान्य व्यक्तियों को ले जाने वाले हवाई जहाजों के लिये, 225×150 मिलीमीटर आकार के झंडे मोटर कारों और 150×100 मिलीमीटर आकार के झंडे मेजों के लिए हैं।

भाग-II

अमर जनरा, गैर-सरकारी संगठनों और सैक्षणिक संस्थाओं आदि के द्वारा राष्ट्रीय झंडे का फहसया जाना/प्रदर्शन/प्रयोग

धारा I

22। अमर जनरा, गैर-सरकारी संगठनों और सैक्षणिक संस्थाओं आदि के द्वारा सम्मुख झंडे के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा: सिवाय संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 * और राष्ट्रीय गौरव

*संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950

धारा 2 : इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) 'संप्रतीक' का अर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी चिह्न, मोहर, झंडा, तमगा, कोट-आफ-आम्स या चिङ्गास्पक स्वरूप से है;

धारा 3 : इस समय लगू किसी भी कानून में, कोई बात होते हुए भी कोई भी व्यक्ति, केन्द्र सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी, जिसे केन्द्र सरकार की ओर से प्राधिकृत किया जाए, की पूर्ण अनुमति के बिना केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा-निर्धारित ऐसे मामलों और ऐसी परिस्थितियों के सिवाय, किसी व्यापार, कारोबार, आजीविका या व्यवसाय के प्रयोजनके लिए, किसी पेटेंट के हक में या डिजाइन के किसी ट्रेड मार्क में, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी नाम और चिह्न या उससे मिलती-जुलती किसी नकल के प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं करेगा या प्रयोग करना जारी नहीं रखेगा।

नोट: इस अधिनियम की अनुसूची में भारतीय राष्ट्रीय झंडे को एक संप्रतीक के रूप में निर्धारित किया गया है।

अपेक्षान निवारण अधिनियम, 1971 ** तथा इस विषय पर बनाए गए किसी अन्य कानून में बताए गए प्रतिबंध के। उपर्युक्त अधिनियमों में कोई गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित जातों को ध्यान में रखा जाएगा:—

- (i) झंडे का प्रयोग व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा अन्यथा संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 का उल्लंघन होगा;
- (ii) किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा;
- (iii) झंडे को आधा झुका कर नहीं फहराया जाएगा सिवाय उन अवसरों के जब सरकारी भवनों पर झंडे को आधा झुका कर फहराने के आदेश जारी किए गए हों;

**राष्ट्रीय गौरव अपेक्षान निवारण अधिनियम, 1971

धारा 2 : कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर जो सार्वजनिक रूप से दृष्टिगोचर हो, भारतीय राष्ट्रीय झंडे या भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विरुद्धित करता है, दूषित करता है, कुत्सित करता है, कुचलता है या अन्यथा (मौखिक या लिखित शब्दों में अथवा काल्पनिक द्वारा) अपेक्षान करता है उसे 3 वर्ष तक के कारावास से, या जुमनी से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1—भारत के संविधान में संशोधन करने या विधिसम्मत तरीके से भारतीय राष्ट्रीय झंडे में परिवर्तन करने की दृष्टि से सरकार के किसी उपाय की आलोचना या अस्वीकृति व्यक्त करते हुए की गई कोई टिप्पणी इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं बनती।

स्पष्टीकरण 2—‘भारतीय राष्ट्रीय झंडे’ की अभिव्यक्ति में कोई भी तस्वीर, पैटिंग, ड्राइंग या फोटोग्राफ या भारतीय राष्ट्रीय झंडे या उसके किसी भाग या भागों का अन्य स्पष्ट चित्रण जो किसी पदार्थ से बना हो या पदार्थ पर दर्शाया गया हो, शामिल है।

स्पष्टीकरण 3—‘सार्वजनिक स्थान’ की अभिव्यक्ति के अर्थ में ऐसा कोई स्थान जो जनता द्वारा उपयोग के लिए हो अथवा जहां जनता की पहुंच हो और इसमें कोई भी सार्वजनिक वाहन शामिल है।

- (iv) झंडे को किसी भी रूप में लेपटने, जिसमें व्यक्तिगत शब्दयात्रा शामिल है, के काम में नहीं लाया जाएगा;
- (v) किसी प्रकार की पोशाक आवर्दी के भाग में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही तकियाँ, रुमालें, नैपक्षिकी अथवा किसी ड्रेस सामग्री पर झंडे कलाएँ अथवा सुदृश किया जाएगा;
- (vi) झंडे पर किसी प्रकार के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे;
- (vii) झंडे को किसी वस्तु को प्राप्त करने, देने; पकड़ने; अचान्क लेने के पास के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा;
- लैंगिक विशेष अवसरों और राष्ट्रीय दिवसों पर ऐसे गणराज्य दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंग के रूप में ही जैसे फहराए जाने से पूर्व उसमें फूलें की पंखुड़ियाँ रखने में कोई आपूर्ति नहीं होगी;
- (viii) किसी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर झंडे को सम्मान के साथ और पृथक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और इसका प्रयोग प्रतिमा अथवा स्मारक को ढकने के लिए नहीं किया जाएगा;
- (ix) झंडे का प्रयोग न तो बक्ता की मेज को छक्के और न ही बक्ता के मंच को सजाने के लिए किया जाएगा;
- (x) झंडे को जानबूझकर अभीन अथवा फरारी को चूने अथवा पानी में घसीटने नहीं दिया जाएगा;
- (xi) झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव अथवा वायुयान की ट्रैपदार छत, ऊपर, बगल अथवा पीछे से ढकने के काम में नहीं लाया जाएगा;
- (xii) झंडे का प्रयोग किसी भवन में परदा लगाने के लिए नहीं किया जाएगा; और
- (xiii) झंडे को जानबूझकर "केसरिया" रंग को नीचे प्रदर्शित करके नहीं फहराया जाएगा।

2.2 जनता का कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैर-सरकारी संगठन अथवा कोई भी शिक्षा संस्था राष्ट्रीय झंडे को सभी दिनों और अवसरों, औषत्तारिकताओं या अन्य अवसरों पर फहरा/प्रदर्शित कर सकता है। राष्ट्रीय झंडे की पर्यादा रखने और उसे सम्मान प्रदान करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएः—

- (i) जब कभी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए तो उसकी स्थिति सम्मानजनक और पृथक होनी चाहिए;
- (ii) फटा हुआ या मैल-कूचैल झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाए;
- (iii) झंडे को किसी अन्य झंडे अथवा झंडों के साथ एक ही ध्वज-दंड से नहीं फहराया जाए;
- (iv) संहिता के भाग-III की धारा IX में की गई व्यवस्था के सिवाय झंडे को किसी बाहर पर नहीं फहराया जाएगा;
- (v) यदि झंडे का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है, तो उसे इस प्रकार फहराया जाना चाहिए कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो झंडा उनके दाहिनी ओर रहे अथवा झंडे को वक्ता के पीछे दीवार के साथ और उससे ऊपर लेटी हुई स्थिति में प्रदर्शित किया जाए;
- (vi) जब झंडे का प्रदर्शन किसी दीवार के सहारे, लेटी हुई और समतल स्थिति में किया जाता है तो केसरिया भाग सबसे ऊपर रहना चाहिए और जब यह लम्बाई में फहराया जाए तो केसरी भाग झंडे के हिसाब से दाईं ओर होगा (अर्थात् झंडे को सामने से देखने वाले व्यक्ति के बाईं ओर);
- (vii) जहाँ तक सम्भव हो झंडे का आकार इस संहिता के भाग-I में निर्धारित किए गए मानकों के अनुरूप होना चाहिए;
- (viii) किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उससे ऊपर या उसके बराबर में नहीं लगाया जाए और न ही पुष्प, माला, प्रतीक या अन्य कोई वस्तु उसके ध्वज-दंड के ऊपर रखी जाए;
- (ix) फूलें का गुच्छ या पताका या बन्दनबार बनाने या किसी अन्य प्रकार की सजावट के लिए झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा;

- (x) जनता द्वारा कागज के बने झंडों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर हाथ में लेकर फैलाया जा सकता है। परन्तु ऐसे कागज के झंडों को समारोह पूरा होने के पश्चात् न तो विकृत किया जाएगा और न ही जमीन पर फेंका जाएगा। जहाँ तक सम्भव हो, ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकान्त में किया जाए;
- (xi) जब झंडे का प्रदर्शन खुल्हे में किया जाता है, वहाँ मौसम को ध्वनि में स्क्रैचिंग उसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फैलाया जाना चाहिए;
- (xii) झंडे का प्रदर्शन इस प्रकार बांधकर न किया जाए जिससे कि वह फट जाए; और
- (xiii) जब झंडा फट जाए या मैल्क हो जाए तो उसे एकान्त में पूरा नहीं कर किया जाए। बेहतर होगा यदि उसे जलाकर या उसकी मर्यादा के अनुरूप किसी अन्य तरीके से नष्ट कर दिया जाए।

धारा II

22.3 सैक्षिक संस्थाओं (स्कूल, कालेज, खेल शिविर, स्काउट शिविर आदि) में राष्ट्रीय झंडा फैलाया जाए ताकि मन से झंडे का सम्मान करने के लिए प्रेरणा दी जा सके। मार्गदर्शन के लिए हिदायतें नीचे दी गई हैं:-

- (i) स्कूल के विद्यार्थी इकट्ठे होकर एक खुला वर्गाकार बनायेंगे। इस वर्ग में तीन तरफ विद्यार्थी खड़े होंगे और चौथी तरफ बीच में झंडा होगा। प्रधानाध्यापक, मुख्य छात्र और झंडे को फैलाने वाला व्यक्ति (यदि वह प्रधानाध्यापक के अलावा कोई दूसरा हो) झंडे से तीन कदम पीछे खड़े होंगे।
- (ii) छात्र कक्षाक्रम से दस-दस के दल में (अथवा कुल संख्या के अनुसार किसी दूसरे हिसाब से) खड़े होंगे और वे एक दल के पीछे दूसरे दल के क्रम में रहेंगे। कक्षा का मुख्य छात्र अपनी कक्षा की पहली पंक्ति की दाई ओर खड़ा होगा और कक्षा अध्यापक अपनी कक्षा की अंतिम पंक्ति से तीन कदम पीछे बीच में खड़ा होगा। कक्षाएं वर्गाकार में इस प्रकार खड़ी

होंगी कि सबसे बड़ी कक्षा सबसे दाईं ओर रहेगी और उसके बाद वरिष्ठता क्रम से अन्य कक्षाएं खड़ी होंगी।

- (iii) हर पंक्ति के बीच कम से कम एक कदम (30 इंच) का फासला होना चाहिए और हर कक्षा के बीच में समान फासला होना चाहिए।
- (iv) जब हर कक्षा तैयार हो जाए, तो कक्षा का नेता आगे बढ़कर स्कूल के चुने हुए छात्र-नेता का अभिवादन करेगा। जब सारी कक्षाएं तैयार हो जाएं, तो स्कूल का छात्र-नेता प्रधानाध्यापक की ओर बढ़कर उनका अभिवादन करेगा। प्रधानाध्यापक अभिवादन का उत्तर देगा। इसके बाद झंडा फहराया जाएगा। इसमें स्कूल का छात्र-नेता सहायता कर सकता है।
- (v) स्कूल का छात्र-नेता, जिसे परेड (या सभा) का भार सौंपा गया है, झंडा फहराने के ठीक पहले परेड को सावधान (अटेंशन) हो जाने की आज्ञा देगा और झंडे के लहराने पर परेड को झंडे को सलमानी देने की आज्ञा देगा। परेड कुछ देर तक सलमानी की अवस्था में रहेगी और फिर “कमान” आवेदा पाने पर सावधान (अटेंशन) की अवस्था में आ जाएगी।
- (vi) झंडे की सलमानी देने के बाद राष्ट्र गान होगा। इस कार्यक्रम के दौरान परेड सावधान (अटेंशन) की अवस्था में रहेगी।
- (vii) शपथ लेने के सभी अवसरों पर शपथ राष्ट्र गान के बाद ली जाएगी। शपथ लेने के समय सभा सावधान (अटेंशन) की अवस्था में खड़ी रहेगी। प्रधानाध्यापक शपथ पढ़ेंगे और सभा उसको दोहराएंगी।
- (viii) स्कूली में राष्ट्रीय झंडे के प्रति निष्ठा की शपथ लेते समय निम्नलिखित कार्यप्रणाली अपनाई जाएगी:—

सभी हाथ जोड़कर खड़े होंगे और निम्नलिखित शपथ दोहराएंगे:—

“मैं राष्ट्रीय झंडे और लोकतंत्रात्मक संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न समाजवादी पंथ-निरपेक्ष गणराज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेता/लेती हूं जिसका यह झंडा प्रतीक है।”

भाग-III

केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय झंडे का फहराया जाना/प्रदर्शन

धारा I

रक्षा प्रतिष्ठानों/द्वारा तथा दूतावासों/कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा झंडा फहराया जाना

3.1 सरकारी अधिकारी फहराने के लिए जिन रक्षा प्रतिष्ठानों के अपने नियम हैं, उन पर इस भाग में कोई गयी व्यवस्था लागू नहीं होगी।

3.2 सरकारी अधिकारी विदेश स्थित उन दूतावासों/कार्यालयों के मुख्यालयों और उनके प्रमुखों के अधिकारी पर भी फहराया जा सकता है जहां सरकारी और कौन्सुलर प्रतिष्ठानों के लिए अपने मुख्यालयों तथा सरकारी आवासों पर अपने राष्ट्रीय झंडों को फहराए जाने का प्रचलन है।

धारा II

झंडे का सरकारी तौर पर फहराया जाना

3.3 उपर्युक्त धारा I में उल्लिखित व्यवस्था के अध्यधीन सभी सरकारों तथा उनके संगठनों/एजेंसियों के लिए इस भाग में कोई व्यवस्था का यालन करना अनिवार्य होगा।

3.4 सरकारी तौर पर झंडा फहराये जाने के सभी अवसरों पर केवल उसी झंडे का प्रयोग किया जाएगा जो भारतीय मानक ब्लूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो और जिस पर ब्लूरो का मानक चिन्ह लगा हो। दूसरे अवसरों पर भी समुचित आकार के ऐसे ही झंडे फहराना बांधनीय होगा।

धारा III

झंडा फहराने का सही तरीका

3.5 जब भी झंडा फहराया जाए तो उसे सम्पान्पूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए और उसे ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

3.6 यदि किसी सरकारी भवन पर झंडा फहराने का प्रचलन है तो उस भवन पर यह रविवार और शुक्रियों में भी सभी दिन फहराया जाएगा और, इस संहिता में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त इसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाएगा, चाहे मौसम कैसा भी बर्या न हो। ऐसे भवन पर रात को भी झंडा फहराया जा सकता है किन्तु ऐसा केवल खिलेक अवसरों पर ही किया जाना चाहिए।

3.7 झंडे की सदा स्फूर्ति से फहराया जाए, और धीरे-धीरे एवं और आदर के साथ उतारा जाय। जब झंडे को फहराते समय और उतारते समय बिगुल बजाया जाता है तो इस बात का सम्मान देखा जाए कि झंडे को बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया जाना चाहिए उतारा जाए।

3.8 यदि आपका किसी भवन की खिड़की, बाल्कनी या अगले हिस्से से आँखा या तिरछा फहराया जाए तो झंडे की केसरी पट्टी सबसे दूर बाले सिरे पर होगी।

3.9 यदि आपका किसी दीवार के सहारे आँखा और चौड़ाई में किया जाता है तो आपकी आँखी सबसे ऊपर रहेगी और जब वह लम्बाई में फहराया जाए, तो केसरी पट्टी आपकी दिसाव से दाईं ओर होगी अर्थात् वह झंडे को सामने से देखने वाले व्यक्ति की दाईं ओर होगी।

3.10 यदि आपका प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार फहराया जायगा कि आप वक्ता का मुह श्रीताओं की ओर हो तो झंडा उनके दाहिने ओर रहे, आपका झंडे को दीवार के साथ वक्ता के पीछे और उससे ऊपर आँखा फहराया जाए।

3.11 किसी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर झंडे को सम्मान के साथ और पृथक रूप से प्रदर्शित किया जाए।

3.12 जब झंडा किसी मोटर कार पर लगाया जाता है तो उसे बोनट के आगे बीचोंदूष कार के आगे दाईं ओर कसकर लगाये हुए एक ढंडे (स्टाफ) पर फहराया जाए।

3.13 जब झंडा किसी जुलूस या परेड में ले जाया जा रहा हो तो वह मार्च करने वालों के दाईं ओर अर्थात् झंडे के भी दाहिनी ओर रहेगा या यदि दूसरे झंडों की भी कोई लकड़ी हो तो राष्ट्रीय झंडा उस लकड़ी के मध्य में आगे होगा।

धारा ४५

झंडे फहराने के महसूस तरीके

- 3.14. पत्ता या मैलाकूप्रैरुद्ध इंडियनर्सी फहराया जाएगा।
- 3.15. किसी व्यक्ति यह कहने के समझनी दोष के हिट झंडे को दूसरा नहीं जाएगा।
- 3.16. किसी दूसरे के लिए यह प्रत्यक्ष बनते हुए उसी दूसरे के लिए उसका उपर नहीं लगाया जाएगा, और उसे बताई भई व्यक्तिगत वक्ता छोड़ा जाय, सभी किसी दूसरे के बताए गए भी नहीं रखा जाएगा, और नहीं कोई दूसरी कहानी उस अवसरे दृढ़ता के उपर सखी जाएगी, किसी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष परहमामा जाएगा है। यह कहने के में पूर्ण अवधारणा भासते हुए अमादा प्रारंभिक भी समिस्त है।
- 3.17. फूलों का गुच्छ पर्याप्त इंडियनर्सी बनाने या किसी दूसरे प्रत्यक्ष की समझने के हिट झंडे का इसे भासनहीं किया जाएगा।
- 3.18. झंडे का प्रयोग नहीं करना वर्तमान में कवी दृढ़ता के के हिट और नहीं व्यक्ति के गंभीर सजावे के हिट किया जाएगा।
- 3.19. 'केसरी' पट्टी के नीचे रखकर झंडे नहीं फहराया जाएगा।
- 3.20. झंडे को जमीन, या फर्श छूने या पानी में घसीटने नहीं दिया जाएगा।
- 3.21. झंडे का प्रदर्शन इस प्रकार बांधकर नहीं किया जाएगा। किससे कि वह फहराया जाए।

धारा V

झंडे का दुश्पयोग

- 3.22. राजकीय सेना को नहीं अद्वितीय वस्त्रों से भस्त्रमिथा उत्तमता आओ, किसके सम्बन्ध में उगे व्यापक वर्णन नहीं है, को छोड़कर झंडे का प्रयोग किसी भी रूप में लिए नहीं किया जाएगा।
- 3.23. झंडे को बाह्य, रेखाओं अथवा नस्तकी टेप्सर छूत, बाल अथवा पिछले भाग को छूने के काम में नहीं लाया जाएगा।

- 3.24 झंडे का प्रयोग इस प्रकार से नहीं किया जाएगा या उसे इस प्रकार नहीं रखा जाएगा कि वह फट जाए या मैला हो जाए।
- 3.25 जब झंडा फट जाए या मैला हो जाए, तो उसे फेंका नहीं जाएगा और न ही अनादरपूर्वक उसका निपटान किया जाएगा, बल्कि झंडे को एकांत में पूरा नष्ट कर देना चाहिए। बेहतर होगा यदि उसे जलाकर या उसकी मर्यादा के अनुकूल किसी दूसरे तरीके से नष्ट कर दिया जाए।
- 3.26 झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए नहीं किया जाएगा।
- 3.27 किसी प्रकार की पोशाक या वर्दी के भाग के रूप में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसे गहियों, रुमालों, बक्सों अथवा नेपकीनों पर काढ़ा या छापा नहीं जाएगा।
- 3.28 झंडे पर किसी प्रकार के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे।
- 3.29 किसी भी प्रकार के विज्ञापन के रूप में झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही उस डंडे पर कोई विज्ञापन लगाया जाएगा जिस पर कि झंडा फहराया जा रहा हो।
- 3.30 झंडे को किसी वस्तु को प्राप्त करने, देने, पकड़ने या ले जाने वाले पात्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा।

लेकिन विशेष अवसरों तथा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय दिवसों पर समारोह के एक अंग के रूप में झंडे को फहराए जाने से पूर्व उसमें फूलों की पंखुड़ियाँ रखे जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

धारा VI


झंडे को सलामी

- 3.31 झंडे को फहराते समय या उतारते समय या झंडे को परेड में या किसी निरीक्षण के अवसर पर ले जाते समय वहां पर उपस्थित सभी लोग झंडे की ओर मुंह करके सावधान (अटैशन) की अवस्था में खड़े होंगे। वर्दी पहने हुए व्यक्ति समुचित ढंग से सलामी देंगे। जब झंडा जा रही सैन्य टुकड़ी के साथ हो तो उपस्थित व्यक्ति सावधान खड़े होंगे या जब झंडा उनके पास से गुजरे तो वे उसको सलामी देंगे। गणमान्य व्यक्ति सिर पर कोई बस्त्र पहने बिना भी सलामी ले सकते हैं।

धारा VII

राष्ट्रीय झंडे का दूसरे राष्ट्रों के झंडों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे के साथ फहराया जाना


3.32 जब राष्ट्रीय झंडा दूसरे राष्ट्रों के झंडों के साथ एक ही पंक्ति में फहराया जाए तो उसे सबसे दाईं ओर रखा जाएगा, अर्थात्, यदि कोई पर्यवेक्षक झंडों की पंक्ति के बीच में श्रेताओं की ओर मुख करके खड़ा होता है तो साष्ट्रीय झंडा उसके सबसे दाईं ओर होगा। यह स्थिति नीचे के चित्र में स्पष्ट की गई है:—




3.33 राष्ट्रीय झंडे के बाद दूसरे राष्ट्रों के झंडे संबंधित राष्ट्रों के नामों के अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार लगाए जाएंगे। ऐसे मामले में राष्ट्रीय झंडे को झंडों की पंक्ति के शुरू में, नाम के अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार झंडों की पंक्ति के मध्य में और पंक्ति के अन्त में भी लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले फहराया जाएगा और सबसे बाद में उतारा जाएगा।

3.34 यदि झंडों को खुले गोलाकार में अर्थात् अर्धगोलाकार में फहराया जाता है तो इस धारा के पिछले खंड में बताई गई कार्यविधि ही अपनाई जाएगी। यदि झंडे एक पूर्ण गोलाकार में फहराए जाते हैं तो आरंभ में राष्ट्रीय झंडा लगाया जाएगा और दूसरे राष्ट्रों के झंडे घड़ी की सुई के दिशाक्रम में इस प्रकार रखे जाएंगे कि अन्तिम झंडा राष्ट्रीय झंडे तक आ जाए। गोलाई का आरंभ और अन्त दर्शाने के लिए दूसरा राष्ट्रीय झंडा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बन्द गोलाकार में वर्णक्रम के अनुसार अपने स्थान पर भी राष्ट्रीय झंडे को लगाया जाएगा।

3.35 जब राष्ट्रीय झंडा और कोई दूसरा झंडा एक साथ किसी दीवार पर दो ऐसे डंडों पर फहराये जाएं, जो एक-दूसरे को क्रास करते हैं, तो राष्ट्रीय झंडा दायीं ओर अर्थात् झंडे की अपनी दाईं ओर होगा और उसका डंडा दूसरे डंडे के ऊपर रहेगा। यह स्थिति नीचे के चित्र में स्पष्ट की गई है:-



3.36 जब संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा राष्ट्रीय झंडे के साथ फहराया जाता है तो वह राष्ट्रीय झंडे के किरी भी ओर लगाया जा सकता है। सामान्यतः राष्ट्रीय झंडे को इस प्रकार फहराया जाता है कि वह अपने सामने वाली दिशा के हिसाब से अपने एकदम दाईं ओर होता है, (अर्थात् झंडा फहराने के समय झंडे की ओर मुख किए हुए व्यक्ति के एकदम बाईं ओर) यह स्थिति नीचे के चित्र में स्पष्ट की गई है:-



3.37 जब राष्ट्रीय झंडा दूसरे राष्ट्रों के झंडों के साथ फहराया जाए तो सभी झंडों के ध्वज-दंड समान आकार के होंगे। अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा के अनुसार शान्ति काल में किसी एक राष्ट्र के झंडे को दूसरे राष्ट्र के झंडे से ऊंचा नहीं फहराया जाता है।

3.38 राष्ट्रीय झंडा एक ही समय में किसी दूसरे झंडे या झंडों के साथ एक ही ध्वज-दंड से नहीं फहराया जाएगा। अलग-अलग झंडों के लिए अलग-अलग ध्वज-दंड होंगे।

धारा VIII

सरकारी भवनों एवं आवासों पर संघीय झंडा फहराया जाना

3.39 सामान्यतः उच्च न्यायालयों, सचिवालयों, कमिशनरों के कार्यालयों, जिला कानूनहारियों, जैसे तथा वित्त बोर्ड के कार्यालयों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों तथा विभागीय/सरकारी उपक्रमों के कार्यालयों जैसे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पर ही झंडा फहराया जाना चाहिए।

3.40 सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा-शुल्क चौकियों, जांच चौकियों (चैकपोस्ट), सीमा चौकियों (आउट पोस्ट) और अन्य ऐसी खाली जगहों पर, जहां कि झंडा फहराने का विशेष महत्व है, राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सीमावर्ती गश्ती दलों (बार्डर पेट्रोल) के शिविरों पर भी झंडा फहराया जा सकता है।

3.41 राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपाल, उप-राष्ट्रपाल, जब अपने मुख्यालय में हों, तो उनके सरकारी आवासों पर, और जब वे अपने मुख्यालयों से बाहर दौरे पर हों, तो जिन भवनों में वे निवास करें, उन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाना चाहिए। लेकिन, सरकारी आवास पर फहराया गया राष्ट्रीय झंडा गणमान्य व्यक्ति के मुख्यालय से बाहर जाते ही उतार दिया जाना चाहिए और वापस मुख्यालय आने पर उस भवन के मुख्य द्वार से उनके प्रविष्ट होते ही राष्ट्रीय झंडा पुनः फहरा दिया जाना चाहिए। जब गणमान्य व्यक्ति मुख्यालय से बाहर किसी स्थान के दौरे पर हों तो जिस भवन में वे निवास करें, उस भवन के मुख्य द्वार से उनके प्रवेश करते ही उस भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया जाना चाहिए और जब वे उस स्थान से बाहर जाएं तो राष्ट्रीय झंडा उतार दिया जाना चाहिए। तथापि, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह (6 से 13 अप्रैल तक जलियांवाला बाग के

शहीदों की स्मृति में), भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय उल्लङ्घन के किसी अन्य विशेष दिवस अथवा किसी राज्य के मामले में उस राज्य के गठन की वर्षगांठ के अवसर पर उक्त सरकारी आवासों पर राष्ट्रीय झंडा सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए, चाहे गणमान्य व्यक्ति उन दिनों मुख्यालय में उपस्थित हों या न हों।

3.42 जब राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री किसी संस्था का दौरा करते हैं तो उस संस्था द्वारा उनके सम्मान में राष्ट्रीय झंडा फहराया जा सकता है।

3.43 जब विदेश का कोई गणमान्य व्यक्ति अर्थात् राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, संग्राम राजा, उत्तराधिकारी युवराज या प्रधानमंत्री भारत का दौरा कर रहे हों और उस दौरान कोई संस्था उनके लिए स्वागत समारोह का आयोजन करती है तो उस संस्था द्वारा धारा VII में उल्लिखित नियमों के अनुसार राष्ट्रीय झंडा और संबंधित देश का झंडा साथ-साथ फहराए जाएं। यदि वह गणमान्य व्यक्ति उसी दिन किसी सरकारी भवन का भी दौरा करना चाहें जिस दिन वह उक्त संस्था में आए हों तो उन सरकारी भवनों पर भी धारा VII में उल्लिखित नियमों के अनुसार ही राष्ट्रीय झंडा और संबंधित देश का झंडा साथ-साथ फहराए जाएं।

धारा IX

मोटर कारों पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाना

3.44 मोटर-कारों पर राष्ट्रीय झंडा लगाने का विशेषाधिकार केवल निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों को ही है:-

- (1) राष्ट्रपति;
- (2) उप-राष्ट्रपति;
- (3) राज्यपाल और उप-राज्यपाल;
- (4) विदेशों में नियुक्त भारतीय दूतावासों एवं कार्यालयों के अध्यक्ष;
- (5) प्रधान मंत्री और अन्य केबिनेट मंत्री;

केन्द्र के राज्यमंत्री और उपमंत्री;

राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और अन्य केबिनेट मंत्री;

राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के राज्य मंत्री और उप मंत्री;

(6) लोक सभा के अध्यक्ष;

राज्य सभा के उप सभापति;

लोक सभा के उपाध्यक्ष;

राज्यविधान विधायिकों के सभापति;

राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं के अध्यक्ष;

राज्यविधान विधायिकों के उप सभापति;

सभाओं और संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं के उपाध्यक्ष;

(7) भारत के मुख्य न्यायाधीश;

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश;

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश;

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश।

3.4.65 पैसा 3.4.65 के खंड (5) से (7) तक मैं उल्लिखित गणमान्य व्यक्ति, जब कामी अन्नादाता या उचित समझे, अपनी कारों पर साधीय झंडा लगा सकते हैं।

3.4.66 जबकि मैं विदेशी गणमान्य व्यक्ति सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कारों में यह अन्नादाता तो उचित साधीय झंडा कास्के दाई और लगाया जाएगा और संबंधित देश का झंडा कामद करेगा और लगाया जाएगा।

धारा X

रेल गाड़ियों और वायुयानों पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाना।

3.4.67 जब राष्ट्रपति देश में ही विशेष रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं तो जैस स्टेशनसे गढ़ी रक्षा लेती है वहां छाईवर की कैबिन पर प्लेटफार्म की ओर राष्ट्रीय झंडा तथा तभी लगाया जाए जब तक गाड़ी वहां खड़ी रहती है। राष्ट्रीय झंडा के बल तभी लगाया जाए जब उक्त विशेष रेलगाड़ी किसी स्टेशन पर खड़ी हो या शास्त्रीय स्टेशन पर पहुंच गई हो।

3.48 राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री के विदेश यात्रा करते समय उस विमान पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाएगा जिसमें वे यात्रा कर रहे हों। जिस देश की यात्रा की जा रही है उसका झंडा भी राष्ट्रीय झंडे के साथ-साथ लगाया जाना चाहिए, परन्तु मार्ग में जिन-जिन देशों में विमान उतरे तो शिष्टाचार और सद्भावना के नाते उस झंडे के स्थान पर संबंधित देशों के राष्ट्रीय झंडे लगाए जाएं।

3.49 जब राष्ट्रपति देश में ही कहीं दौरे पर जाएं तो राष्ट्रीय झंडा बायुयान के उस ओर लगाया जाए जिस ओर राष्ट्रपति विमान में चढ़ें या उससे उतरें।

धारा XI

झंडे को आधा झुकाना

3.50 निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से किसी का निधन होने पर प्रत्येक पदनाम के साथने उल्लिखित स्थानों पर निधन के दिन राष्ट्रीय झंडा आधा झुका दिया जाएगा:

गणमान्य व्यक्ति	स्थान
राष्ट्रपति	समस्त भारत
उप-राष्ट्रपति	
प्रधान मंत्री	
लोक सभा के अध्यक्ष	दिल्ली
भारत के मुख्य न्यायाधीश	
केन्द्रीय केबिनेट मंत्री	दिल्ली और राज्यों की राजधानियां
केन्द्र के राज्य मंत्री और उप मंत्री	दिल्ली
राज्यपाल	
उप-राज्यपाल	
राज्य का मुख्य मंत्री	संबंधित समस्त राज्य या संघ शासित क्षेत्र
संघ शासित क्षेत्र का मुख्य मंत्री	
राज्य का केबिनेट मंत्री	संबंधित राज्य की राजधानी

3.57 जब झंडा झुकाया जाना हो तो उसे पहले एक बार पूरी ऊँचाई तक फहराया जाए और फिर उसे झुकी हुई स्थिति में उतारा जाए किन्तु दिन-भर के बाद शाम को झंडा उतारने से पूर्व उसे एक बार फिर पूरी ऊँचाई तक उठाया जाए।

टिप्पणी: झंडा आधा झुकाए जाने (हाफ-मास्ट) से तात्पर्य है झंडे को चोटी तथा 'गाई लाइन' के बीच आधे तक नीचे लाया जाना और 'गाई लाइन' न होने की अवस्था में झंडे को डंडे (स्टफ) के आधे हिस्से तक झुकाया जाना।

3.58 राजकीय/सैनिक/केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के सम्मान से युक्त अंत्योष्ठि के अवसरों पर शवपेटिका या अर्थी झंडे से ढक दी जाएगी और झंडे का केसरिया भाग अर्थी या शवपेटिका के अग्रभाग की ओर रहेगा। झंडे को कब्र में दफनाया या चिता में जलाया नहीं जाएगा।

3.59 किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष का निधन हो जाने पर उस देश में प्रत्यायित भारतीय दूतावास अपने राष्ट्रीय झंडे को झुका सकता है चाहे वह घटना गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह (6 से 13 अप्रैल तक जलियांवाला बाग के शहीदों की स्मृति में) अथवा भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय उल्लास के किसी अन्य विशिष्ट दिन को ही हुई हो। उस देश के किसी अन्य गणमान्य व्यक्ति का निधन होने पर भारतीय दूतावास को झंडा नहीं झुकाना चाहिए जब तक कि वहां की स्थानीय प्रथा या सिद्धिचार (जिसका पता, जहां-कहीं भी आवश्यक हो, राजनयिक कोर के अधिष्ठाता डीन आफ दि डिल्सेमेटिक कोर से ले गाया जाना चाहिए) के अनुसार उस देश में विदेशी दूतावास के राष्ट्रीय झंडे को भी झुकाना अपेक्षित न हो।